

राजस्थान-सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक:-प-5()आ.कृ. / एनएफएसएम-ऑ0एस0 / प्रदर्शन / 2020-21 / 11197-406 दिनांक:- 23.04.2020

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
2. परियोजना निदेशक सी.ए.डी. कोटा।
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त / उपनिदेशक कृषि इ.गा.न.प. बीकानेर।
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त।

विषय:- वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (पूर्व में एनएमओओपी), गेहूँ, दलहन व मोटा अनाज, न्यूट्री सीरियल, वाणिज्यक फसल (कपास) एवं राज्य योजना तथा आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत फसल प्रदर्शनों के प्रभावी आयोजन हेतु दिशा-निर्देश भिजवाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यक फसल (कपास) हेतु गत वर्ष जारी दिशा-निर्देश समसंख्यक पत्रांक 351-381 दिनांक 24.05.2019 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन (पूर्व में एनएमओओपी), गेहूँ, दलहन, मोटा अनाज, व न्यूट्री सीरियल एवं राज्य योजना अन्तर्गत फसल प्रदर्शनों तथा आर.के.वी.वाई. अन्तर्गत एफ.एफ.एस. आधारित फसल प्रदर्शनों के प्रभावी आयोजन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए जारी दिशा-निर्देश समसंख्यक पत्रांक 495-700 दिनांक 20.06.2019 एवं उक्त समस्त योजनाओं में तकनीकी साहित्य के संदर्भ में कृषि आयुक्तालय के पत्रांक प-5(27)आ.कृ./कृषि सूचना/कृअ/2019-20/2507-2626 दिनांक 28.11.2019 के द्वारा जारी आंशिक संशोधन को सम्मिलित करते हुए गत वर्ष के दिशा-निर्देश वर्ष 2020-21 के लिए लागू होंगे।

(डा. ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक:-प-5() आ.कृ. / एनएफएसएम-ऑ0एस0 / प्रदर्शन / 2020-21 / 11197-406 दिनांक:- 23.04.2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उद्यानिकी एवं सहकारिता, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन. (समस्त).....
5. संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक कृषि, विस्तार/आदान/अनु0, मुख्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, समेति आत्मा, अकादमिक भवन राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, भवानी सिंह रोड, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि फसलों के प्रदर्शन आयोजन हेतु कृषि आदान यथा बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, उर्वरक (डीएपी एवं यूरिया), जैव उर्वरक पौध संरक्षण रसायन की आवश्यकतानुसार जिलों की संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
9. महा प्रबन्धक, राज0 राज्य बीज निगम/क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित फसलों के प्रदर्शन आयोजन हेतु खण्ड में सिफारिश किस्मों के प्रमाणित बीज संबंधित उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद से संपर्क कर उनकी मांग

- के अनुसार समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करने का श्रम करावें तथा संबंधित क्षेत्र/स0प्र0 को निर्देशित किया जावे कि वे बिल भेजते समय बीज की किस्म व लॉट संख्या का इन्द्राज आवश्यक रूप से करें। जहां बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है वहां प्रदर्शन कार्यक्रम से जोडा जावे। बीज आपूर्ति की सूचना से कृषि आयुक्तालय को सूचित करें।
10. संयुक्त निदेशक कृषि, (योजना/पौध संरक्षण/ज.उ.प्र./गुण नियन्त्रण/ए.टी.सी./एम एण्ड ई /रसायन/आदान/सांख्यिकी) को एरिया नोडल आफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
 11. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड जयपुर/भरतपुर/श्रीगंगानगर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर /भीलवाडा /सीकर/जालौर/बीकानेर।
 12. संयुक्त निदेशक कृषि, पौध व्याधि, राईजाबिया स्कीम, दुर्गापुरा, जयपुर।
 13. उप निदेशक कृषि, (विस्तार/अभियांत्रिकी/रसायन/सूचना), मुख्यालय जयपुर।
 14. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

३
१२३/५/२२२०
(के० सी० मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (आइसोपाम)